



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-02062026-273061
CG-RJ-E-02062026-273061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2691]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2691]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 1 जून, 2026

का.आ. 2784(अ).— जबकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में लूणी-समदड़ी-भीलडी दोहरीकरण रेलवे परियोजना (विशेष रेलवे परियोजना) के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कुछ भूमि अर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंशा घोषित की गई थी।

और जबकि संयुक्त मापन सर्वेक्षण (JMS) तथा जिला भूमि अभिलेख निरीक्षक (DILR) द्वारा सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु आवश्यक गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की डीसा तहसील स्थित कुछ सर्वे नंबर उपर्युक्त अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किए गए थे और पहले से अधिसूचित कुछ सर्वेक्षण संख्याओं में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

और जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि उपर्युक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अतः, अब, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की डीसा तहसील में स्थित अनुसूची में वर्णित भूमि को लूणी-समदड़ी-भीलडी दोहरीकरण रेलवे परियोजना (विशेष रेलवे परियोजना) के प्रयोजनार्थ अर्जित करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, यदि कोई आपत्ति हो, तो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / प्रांत अधिकारी, डीसा, जिला बनासकांठा, गुजरात के समक्ष लिखित रूप में, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार प्रस्तुत कर सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

लूणी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना हेतु बनासकांठा जिले के डीसा तालुका में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

अ. नए शामिल सर्वेक्षण नंबर

क्र. सं.	तहसील	गांव	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	टिप्पणी
1	डीसा	सूंथिया	97	निजी	कृषि	117	नवीन सम्मिलित
2	डीसा	सूंथिया	99	निजी	कृषि	746	नवीन सम्मिलित
3	डीसा	सूंथिया	107/001	निजी	कृषि	157	नवीन सम्मिलित
4	डीसा	वरन	143	निजी	कृषि	699	नवीन सम्मिलित
5	डीसा	ओढवा	804	निजी	कृषि	256	नवीन सम्मिलित
6	डीसा	ओढवा	806	निजी	कृषि	188	नवीन सम्मिलित
7	डीसा	ओढवा	803	निजी	कृषि	54	नवीन सम्मिलित
8	डीसा	घरनाल नानी	257	निजी	कृषि	75	नवीन सम्मिलित
अर्जित की जाने वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल						2292	

ब. पहले से अधिसूचित सर्वेक्षण संख्याओं में अतिरिक्त भूमि:

क्र. सं.	तहसील	गांव	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	पहले का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अतिरिक्त भूमि (वर्ग मीटर)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	टिप्पणी
1	डीसा	सूंथिया	160	निजी	5726	68	5794	क्षेत्रफल बढ़ाया गया
2	डीसा	ओढवा	615	निजी	1390	219	1609	क्षेत्रफल बढ़ाया गया
अर्जित की जाने वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल						287	7403	

[फा.सं. ऊपरे/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-25]
विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 1st June, 2026

S.O. 2784(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Railways published in the Gazette of India dated the 10th October, 2025, under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the intention of the Central Government to acquire certain lands for the public purpose of construction of Luni-Samdari-Bhildi Doubling Railway Project (Special Railway Project) in District Banaskantha in the State of Gujarat was declared;

And whereas during the course of Joint Measurement Survey (JMS) and verification by the District Inspector of Land Records (DILR), it has been observed that certain survey numbers situated in Deesa Taluka, District Banaskantha, Gujarat, required for the said project were not included in the aforesaid notification and additional land is required in some of the already notified survey numbers.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares its intention to acquire the lands specified in the Schedule below for the said public purpose.

Any person interested in the land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, file objections, if any, to the Competent Authority, namely Sub Divisional magistrate/Prant Officer Deesa, District Banaskantha, Gujarat in writing, as provided under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Detail of land to be acquired in Deesa Taluka of Banaskantha District in connection with Luni-Samdhari-Bhildi Doubling Special Railway Project.

A. Newly included survey numbers:

Sl. No.	Taluka	Village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Area (In Sq.m.)	Remark
1	Deesa	Sunthiya	97	Private	Agriculture	117	Newly included
2	Deesa	Sunthiya	99	Private	Agriculture	746	Newly included
3	Deesa	Sunthiya	107/001	Private	Agriculture	157	Newly included
4	Deesa	Varan	143	Private	Agriculture	699	Newly included
5	Deesa	Odhava	804	Private	Agriculture	256	Newly included
6	Deesa	Odhava	806	Private	Agriculture	188	Newly included
7	Deesa	Odhava	803	Private	Agriculture	54	Newly included
8	Deesa	Gharnal Nani	257	Private	Agriculture	75	Newly included
Total area to be acquired						2292	

B. Additional land in already notified survey numbers:

Sl. No.	Taluka	Village	Survey No.	Type of land	Earlier area	Additional area	Total area (In Sq.m.)	Remark
1	Deesa	Sunthiya	160	Private	5726	68	5794	Area Increased
2	Deesa	Odhava	615	Private	1390	219	1609	Area Increased
Total area to be acquired						287	7403	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)